रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1250] नई दिल्ली, बुधवार मार्च 20, 2019/फाल्गुन 29, 1940
No. 1250] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 2019/PHALGUNA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

का.आ. 1398(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ 'विशाखपटनम स्पेशल इकोनोमिक जोन प्राधिकरण' को उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण अधिसूचित करती है, नामत:

(क) पट्टा किराया (लीज रेंट) (निर्धारित सरकारी दर के अनुसार प्रभारित);

(ख) पहचान पत्र तथा परमिट फीस से प्राप्तियां;

(ग) मानक डिजाइन फैक्टरियों के बारे में आवंटन फीस;

(घ) उस प्लॉट/बिल्डिंग के बारे में नीलामी/बोली राशि जो खाली होती है;

(ङ) प्लॉट/बिल्डिंग के बारे में अंतरण प्रभार;

(च) बिल्डिंग योजनाओं की छूट के लिए फार्म-1 के निर्गम हेतु फीस;

(छ) बिल्डिंग योजनाओं के अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) व्यक्त करने आदि के लिए प्रसंस्करण फीस;

(ज) सेवा प्रदाताओं से स्थापना स्थल प्रयोग प्रभार;

(झ) स्टाफ को स्टाफ क्वार्टर्स के आवंटन हेतु लाइसेंस फीस;

(ञ) उपरोक्त (क) से (झ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि विशाखपटनम स्पेशल इकोनोमिक जोन प्राधिकरण-

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियां तथा प्रकृति, पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा–4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू होना माना जाएगा और कर निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के बारे में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 25/2019/फा. सं.300196/62/2018-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव